संख्याः-04/2017/1635/सोलह-प्रा0शि0-1-2017-1(1)/2005

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम
प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2017**

विषयः-अप्रवासी भारतीय छात्रों की प्रवेश नीति एवं प्रवेश अर्हता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ए0के0टी0यू0/कुस0का0/प्र0प0/2017/586 दिनांक 08.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में दिनांक 06.05.2017 को केन्द्रीय प्रवेश समिति की बैठक में अप्रवासी भारतीय छात्रों की प्रवेश नीति एवं अर्हता संबंधी शासनादेश दिनांक 25.04.2005 में संशोधन किये जाने के सुझाव के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2. आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-71/सोलह-1-2005-15(1)/2005 दिनांक 25.04.2005 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

शासनादेश का बिन्दु सं0	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
2(2)	अप्रवासी भारतीयों, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं भाई/बहनों को राजकीय एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में 05 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिये जाने के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था के क्रम में अब अप्रवासी भारतीयों, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं भाई/बहनों के प्रवेश के उपरान्त भी अप्रवासी भारतीयों के लिए आरक्षित सीटें रिक्त होने की दशा में ऐसे अप्रवासी भारतीयों के पुत्र/पुत्रियों तथा भाई/बहनों की सन्तानों को भी प्रवेश दिए जाने पर विचार किया जा सकता है, जिन्होंने देश में स्थित किसी विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट अथवा उसके समतुल्य परीक्षा	अप्रवासी भारतीयों, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं भाई/बहनों को राजकीय एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में 05 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिये जाने के लिये विचार किया जा सकता है, जिन्होंने देश मे स्थित किसी विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट अथवा उसके समतुल्य परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित विषय में बिना कृपांक के साथ, परीक्षा को न्यूनतम 60 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 55 प्रतिशत) अंको के साथ परीक्षा उत्तीर्ण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित विषयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इस प्रकार आगणित अवशेष सींटों पर प्रवेश हेतु सीटों पर अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम अर्हकारी परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार किया जायेगा। अतएव उक्त व्यवस्था के अनुसार ही अग्रेतर कार्यवाही करायी जाय।	की हो।

3. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25.04.2005 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय,

(अबरार अहमद)

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।